

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ





राकेश कुमार आदि

बनाम

ओमप्रकाश आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 350 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
23.06.2025	<p>वकील वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 04.07.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">om</p>	
26.6.2025	<p>वकील वकी ने मार्चिंग पत्र सिवाल पेक्षा पेश करने पर पत्रावली को पेक्षा में लिया गया। वकुलार फरिडेन उपप्रिपल वकी वपुसिकी सवाल ने हाजिर अकालर आकर शालीनामा पेश किया जिसे काउ तमिडु रजिस्टर करल किया गया। पत्रावली वादले सेट जकारे करी-द तारीख 04.7.2025 को पेक्षा हो।</p> <p style="text-align: center;">om</p>	<p>Rally सत्यन लीलाधर श. नि. पोपलक  रेवा चक शिवप्रकाश श. नि. मरीदेवी  श. नि. मम (मरीदेवी) </p>
4.7.2025	<p>वकुलार फरिडेन उपप्रिपल सेट जकारे पास हुका बहस सुनी वकी पत्रावली का अकलेकन किया गया। पत्रावली पर उपलक्ष्य रेकर व वकी वपुसिकी के शालीनामा के आकर पर वाद वकी डिक्ली किया जाहा है। पूर्ण बिकरण सहित सिंपि शलग के निष्पत्ता जकर शालिन करल किया जकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर काउ तमिडु तमिडु जकरा रजिस्टर रफलर हो।</p> <p style="text-align: center;">om</p>	<p>योगेश सुविता ममता I have disregard g. by me! Rambhadr  26/06/25</p>